न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 686/2019

1. नानगी देवी पत्नि भूराराम
2. मीठालाल पुत्र भूराराम
3. रामप्रसाद पुत्र भूराराम
4. शंकरलाल पुत्र भूराराम
5. फूला देवी पत्नि रामवतार
6. विमला पुत्री रामवतार
7. सीमा पुत्री रामवतार
   समस्त जाति माली निवासीः बालमुकन्दपुरा उर्फ बासडा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
8. रवि कुमार पुत्र रामवतार
9. किरण पुत्री रामवतार
   नाबालिग संरक्षिका माता फूला देवी पत्नि रामवतार समस्त जाति माली निवासीः ग्राम बालमुकन्दपुरा उर्फ बासडा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र रामपाल जाति मीणा, निवासीः ग्राम बालमुकुन्दपुरा उर्फ बासडा, तहसी कोटखावदा, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर वाद सं. 160/2016 उनवानी भगवान सहाय व अन्य बनाम नानगी देवी व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री बंशीधर जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री सुरेन्द्र सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

एवम्

अपील संख्या : 543/2019

1. नानगी देवी पत्नि भूराराम
2. मीठालाल पुत्र भूराराम
3. रामप्रसाद पुत्र भूराराम
4. शंकरलाल पुत्र भूराराम
5. फूला देवी पत्नि रामवतार
6. विमला पुत्री रामवतार
7. सीमा पुत्री रामवतार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

समस्त जाति माली निवासीः बालमुकन्दपुरा उर्फ बासडा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

8. रवि कुमार पुत्र रामवतार
9. किरण पुत्री रामवतार

नाबालिग संरक्षिका माता फूला देवी पत्नि रामवतार समस्त जाति माली निवासीः ग्राम बालमुकन्दपुरा उर्फ बासडा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र रामपाल जाति मीणा, निवासीः ग्राम बालमुकुन्दपुरा उर्फ बासडा, तहसी कोटखावदा, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.09.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर वाद सं. 160/2016 उनवानी भगवान सहाय व अन्य बनाम नानगी देवी व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री बंशीधर जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री सुरेन्द्र सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः 06/01/2020

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.05.2017 एवं एक अन्य अपील निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27.09.2019 वाद संख्या 160/2016 उनवानी भगवान सहाय व अन्य बनाम नानगी देवी व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी ग्राम बालमुकुन्दपुरा उर्फ बांसडा पटवार हल्का देहलाला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर के खाता संख्या 60 के खसरा नंबर 137 लगायत 142, 245, 246, 376, 377, 382, 383, 385, 388, 389, 390, 393, 559, 560, 561, 589, 624, 631, 910, 911, 912, 957, 958, 959 एवं 960 कुल किता 30 कुल रकबा 10.37 हैक्टेयर स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है तथा सभी पक्षकार मौके पर बाहमी बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे है तथा लगान सरकार में शामिल में ही अदा करते चले आ रहे है। आराजीयात का विधिवत तकासमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नहीं हुआ है यानि भूमि शामलाती में ही दर्ज चली आ रही है। पक्षकारान मौके पर बाहमी बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे है तथा अपनी अपनी उपज का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी ने अपने हिस्से की आराजी में उर्वरक खाद डालकर अत्यधिक उपजाऊ बना रखा है जिससे वादी के हिस्से में प्रतिवादीगण के हिस्से के मुकाबले अधिक पैदावार होने से प्रतिवादीगण वादी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से आये दिन वादी के हिस्से में दखल करते है तथा कच्चा पक्का निर्माण करने पर उतारू हो जाते है तथा वादी के द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है जिससे वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वह अपने हक व हिस्से का विधिवत तकासमा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे जिसके वादी कानूनन अधिकारी है। अभी कुछ दिन पूर्व वादी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहा था तभी प्रतिवादीगण दीगर व्यक्तियों के साथ आराजीयात पर आये तथा वादी की कब्जे वाली भूमि पर कब्जा करने लग गये तथा पुख्ता निर्माण करने की धमकी दी। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर वादी के अपने हक व हिस्से का कब्जे व मौका स्थिति अनुसार विधिवत तकासमा करवाया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त के हिस्से की भूमि में किसी तरह की दखलअंदाजी एवं मजाहमत उत्पन्न नहीं करे, न ही भूमि का बेचान करे, न ही भूमि को रहन रखे, न ही स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 24.05.2017 को राजस्व मंडल के नियमानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार कोटखावदा को पक्षकारान की उपस्थिति में कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया। तत्पश्चात् तहसीलदार से कुरैजात प्रस्तुत होने पर कुरैजात पर बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 27.09.2019 द्वारा वाद अंतिम डिक्री किया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने मौके पर कब्जे अनुसार तकासमा करवाना चाहा था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया है। खसरा नंबर 383, 960 एवं 912 पर अपीलान्ट काबिज है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तकासमा में इन खसरा नंबरान की भूमि रेस्पोडेन्ट को दी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी से ही विभाजन किया है जो कि विधि विरूद्व है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाये जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

4. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 27.09.2019 को अंतिम डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2017 को कैम्प कोर्ट में राजस्व मंडल के नियमानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री पारित की थी। जिसके उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट पर दिनांक 04.12.2017 को अपीलान्ट/प्रतिवादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत कुरैजात प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2018 को स्वीकार कर तहसीलदार से पुनः कुरैजात मंगवाये गये। तत्पश्चात् दिनांक 17.05.2018 को अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा पुनः आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2018 को स्वीकार कर पुनः तहसीलदार से कुरैजात मंगवाये गये। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र की कार्यवाही में निरन्तर रूप से भाग लिया जाकर चाराजोही की गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स को अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय डिक्री की जानकारी पत्रावली में कुरैजात बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रारंभ से ही रही है बावजूद इसके अपीलान्ट्स द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील नियत समयावधि 60 दिवस के पश्चात् जानबूझकर देरी से प्रस्तुत की है एवं देरी बाबत कोई संतोषप्रद कारण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है जिससे अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक डिक्री की अपील भी खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट को देखने पर पाया गया कि कुरैजात पर तहसीलदार द्वारा काउन्टर हस्ताक्षर किये गये है जिससे साबित है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर स्वयं उपस्थित होकर कुरैजात तैयार नहीं किये है एवं कुरैजात रिपोर्ट राजस्व मंडल के आदेशों के विपरीत पक्षकारान को बिना सूचित किये ही पटवारी द्वारा ही निर्मित की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट बिना पक्षकारान को सूचित किये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही तैयार किये गये है। उपरोक्त वर्णित आधारों को इंगित करते हुये अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुये आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के विपरीत जाकर कुरैजात तैयार किये गये है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से वाद को डिक्री कर तकासमा किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित करते हुये अंतिम निर्णय डिक्री पारित किया है, जो गलत है। फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा अंतिम निर्णय डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 27.09.2019 खारिज की जाती है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार पक्षकारान को सूचित करते हुये स्वयं मौके पर उपस्थित होकर राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मुख्य मार्ग व रोड पर सहखातेदारान के हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से भूमि प्रदत्त कर विभाजन करते हुये पक्षकारान की उपस्थिति में कुरैजात रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे एवं अधिनस्थ न्यायालय कुरैजात पर पक्षकारान की आपत्तियों का निस्तारण कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.02.2020 को उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर